



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल. सं. NCST/SER-279/KA/1/2022-SSW

श्रीमती शुभ्रा
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)
कार्यालय:- पश्चिमी खंड - 7, आर के पुरम, सेक्टर-1,
नई दिल्ली -110066
ईमेल : ta-textiles@gov.in, दूरभाष - 011-23063625

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामले का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष दिनांक 13.04.2023 को 11:00 बजे, आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलें का सन्दर्भ:- पदोन्नति मिलने में विलंब के सम्बन्ध में - श्री सुरेन्द्र ऋषि मसराम, सहायक निदेशक, हस्तशिल्प सेवा केंद्र, मंगलौर, कर्नाटक का दिनांक 06.09.2021 का अभ्यावेदन।

सन्दर्भ : विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) पत्र सं एचसी -1(14)/2012-सतर्कता/1778 दिनांक 16.08.2022

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 28.03.2023 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes
Loknaya Bhawan, New Delhi-110003

मोहर

